

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2017 (माघ 8, 1938)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2, विजयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री रामनिवास रावत को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

तहसीलदार, सबलगढ़ जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश की ओर से माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को संबोधित पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2017 जो इस सचिवालय में दिनांक 24 जनवरी, 2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“मुझे आपको यह सूचित करना है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री रामनिवास रावत को दिनांक 23 जनवरी, 2017 को 16.45 बजे अधिनियम की धारा 151, 107, 116 (3) जा.फौ अंतर्गत बंदी कर दिनांक 23 जनवरी, 2017 को 18.10 बजे जमानत पर निर्मुक्त कर दिया गया है.”

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.